



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - सांकेत भवन, आईटीआई, चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोसाबाड़ी जोन

फा.क्र. / / निर्माण / 2020-21

कोरबा, दिनांक 06.05.2020

रुचि की अभिव्यक्ति

छ.ग. शासन की "नरुवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी" योजनांतर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा गोकुल नगर खरमोरा में स्थित गौठान के वर्तमान अधोसंचना सहित "संचालन एवं संधारण हेतु निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 2,000/- अमानत राशि जमा कर उक्त कार्य में रुचि रखने वाली ऐसी संस्थाओं से जिन्हें समान प्रकृति के कार्यों को अनुभव हो, मासिक संचालन/संधारण दर के आफर दिनांक 21.05.2020 के दोपहर 3:00 बजे तक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नगर पालिक निगम, कोरबा में आमंत्रित किये जाते हैं। आफर का प्रारूप आवेदन दिनांक 18.05.2020 तक रु. 500/- शुल्क जमा कर नगर पालिक निगम के कोसाबाड़ी जोन निर्माण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था आफर देने के पूर्व गौठान का निरीक्षण कर सकते हैं।"

शर्तें:-

1. चयनित स्वयं सेवी संस्था को राशि रु. 2,000/- सुरक्षा निधि के रूप में टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो आफर के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. गौठान को यथास्थिति अधोसंचना के आधार पर संचालन/संधारण करना होगा। विषयांकित कार्य के सम्पादन हेतु नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा पृथक से अन्य किसी भी प्रकार की सामाग्री प्रदाय नहीं की जावेगी।
3. चयनित व्यवसायी/संस्था को किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान की प्रात्रता नहीं होगी।
4. विषयांकित कार्य के प्रभारी अधिकारी कार्यपालन अभियंता (कोसाबाड़ी जोन), नगर पालिक निगम, कोरबा होंगे, जिनके द्वारा निर्देश किये जाने के अनुसार कार्य सम्पादन होगा।
5. गौठान का संचालन/संधारण छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना हेतु जारी मार्गदर्शिका अनुसार करना होगा।
6. विषयांकित कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक उपकरण एवं परिवहन के जिम्मेदारी व्यवसायी/संस्था की होगी।
7. स्वयं सेवी संस्था का पंजीयन वैध होने के साथ ही स्वयं सेवी संस्था को इस प्रकार के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
8. गौठान के वर्तमान संचालित जल प्रदाय/विद्युत प्रदाय व्यवस्था यथास्थिति रहेंगी, किन्तु उर्जा का प्रभार संबंधित आफरकर्ता संस्था द्वारा भुगतान किया जावेगा।
9. गौठान के संचालन/संधारण हेतु आफर 03 वर्षीय अवधि हेतु किया जावेगा, जिसके लिए पृथक से अनुबंध किया जावेगा। निर्धारित अवधि पूर्व अनुबंध समाप्त करने हेतु दोनों पक्षों को 03 माह पूर्व इस संबंध में सूचना देना अनिवार्य होगा।

// 02 //

10. आफर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त आफर पर विचार नहीं किया जावेगा। आफर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रामपुर, कोसाबाड़ी जिला—कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त आफर स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
11. आफर लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :-
- (अ) लिफाफा में संस्था द्वारा आवेदन, स्वयं सेवी संस्था का वैध पंजीयन, समान प्रकृति के कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि का टी.डी.डी./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम के नाम पर प्रस्तुत करना होगा। टी.डी.डी./एफ.डी.आर. रुचि की अभिव्यक्ति जारी होने के बाद के दिनांक का ही मान्य होगा।
- (ब) कार्य योजना संबंधी लिफाफा।
- (स) दर संबंधी लिफाफा।
12. जिन संस्था द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
13. सशर्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. ई.ओ.आई. के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) अथवा उनके द्वारा अधीकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. ई.ओ.आई. स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
16. ई.ओ.आई. के लिफाफा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
17. ई.ओ.आई. के साथ संस्था को रुचि के अभिव्यक्ति आमंत्रण की प्रति हस्ताक्षर कर संलग्न करना होगा।

नोट:-

- उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

(व्यवसायी/संस्था के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाइल नं.-

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)